निर्गत शाखा
26.5.17

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

ज्ञाप संख्या–9/निधि–(स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)–03–07/2017– आर॰ओ॰ए॰– 22(S)WEA पटना, दिनांक : 26/5/17

सेवा में,

अवर सचिव (लेखा),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य शीर्ष–2013–मंत्रिपरिषद– 800 अन्य व्यय–0001 मंत्रीगण –1303 दूरभाष व्यय का वहन करने के लिए **₹50,000/– (पचास हजार रूपये)** मात्र निधि का उप–आवंटन।

आदेश :– उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के ज्ञाप संख्या– 3/सी0एस0/एम0 (विविध)–22/2017–93, पटना–15, दिनांक–15.05.2017 द्वारा दूरभाष व्यय में उपलब्ध कराये गये आवंटन के आलोक में माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के लिए आवासीय कार्यालय एवं कार्यालय में अधिष्ठापित दूरभाष व्यय वहन हेतु **₹50,000/– (पचास हजार रूपये)** मात्र का उप–आवंटन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में दूरभाष मद कुल उपावंटित राशि संलग्न विवरणी के स्तम्भ–5 के अनुसार हो जायेगी।

2. यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में मांग संख्या–04 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2013–मंत्रिपरिषद– 800 अन्य व्यय–0001 मंत्रीगण –1303 दूरभाष इकाई में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। जिसका विपत्र कोड– 04-2013008000001 है।

3 इस राशि का उप आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के ज्ञाप संख्या– 3/सी0एस0/एम0 (विविध)–22/2017–93, पटना–15, दिनांक–15.05.2017 एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2419 वि0 (2), दिनांक–05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्र सं0–2561 वि0 (2) दिनांक–17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है।

5 यदि इस उप आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यार्पण **दिनांक– 28.02.2018** तक अवश्य कर दिया जाय। अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।

6 इस उप आवंटित राशि से सिर्फ माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के दूरभाष व्यय से संबंधित विपत्रों का ही नियमानुसार भुगतान किया जाय। सामानों के अनुमान्यता के संबंध में संसदीय कार्य विभाग से सम्पर्क किया जाय।

7 इस उप आवंटित राशि में किये गये व्यय की सूचना टी0भी0 नं0 एवं तिथि सहित भुगतान के तुरंत बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग के आर्थोपाय शाखा–2 (बजट) बिहार, पटना को भेजा जाय।

8 आवंटन से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। यदि आवंटन से अधिक व्यय होता है तो इसके लिए आप पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगें।

9 इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त विभाग, आर्थोपाय शाखा (बजट) बिहार, पटना को दी जा रही है।

Chandra Shekhar
(चन्द्रशेखर) 25.5.17
विशेष पदाधिकारी (या0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

26/05/2017
(कृष्ण चन्द्र ठाकुर)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(श्याम किशोर सिन्हा)	(नेमानी दास)	(दीपेश कुमार)	(आलोक कुमार)
सहायक	प्रशाखा पदाधिकारी	सहायक अभियंता	विशेष पदाधिकारी (या0) के त0 स0

ज्ञाप संख्या–9/निधि–(स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)–03–07/2017– आर॰ओ॰ए॰– 22(S)wA पटना, दिनांक : 26/5/17

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग आर्थोपाय शाखा (बजट) बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ संबंधित प्रमंडल आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चन्द्रशेखर) 25-5-17
विशेष पदाधिकारी (या0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(कृष्ण चन्द्र ठाकुर) 26/05/2017
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या–9/निधि–(स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)–03–07/2017– आर॰ओ॰ए॰– 22(S)wA पटना, दिनांक : 26/5/17

प्रतिलिपि– सचिव, प0नि0वि0/ माननीय मंत्री, प0नि0वि0 के आप्त सचिव/ मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / रोकड़ शाखा मुख्य उपभाग, प0नि0वि0, बिहार, पटना/ विशेष पदाधिकारी(या0), प0नि0वि0/ सहायक अभियंता (अवकाश रक्षित)–सह–योजना पदाधिकारी, प0नि0वि0, पटना / आई॰टी॰ मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी – 9 (पाँच प्रति में) एवं अधीक्षण अभियंता(अनु0), प0नि0वि0 (फैक्स एवं ई–मेल हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चन्द्रशेखर) 25-5-17
विशेष पदाधिकारी (या0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(कृष्ण चन्द्र ठाकुर) 26/05/2017
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

उप–आवंटन विवरणी

ज्ञाप संख्या–9/निधि–(स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)–03–07/2017– आर॰ओ॰ए॰– 22(S)wA पटना, दिनांक : 26/5/17

क्रम सं0	कार्यालय का नाम जिन्हें उपावंटन दिया जा रहा है।	उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत पूर्व में उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि	अभ्युक्ति पत्रांक / दिनांक के आलोक मे
1	2	3	4	5	6
1	अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना	0	50,000	50,000	मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के ज्ञाप संख्या– 3/ सी0एस0/एम0 (विविध)–22/2017–93, पटना–15, दिनांक–15.05.2017 के आलोक में।
कुल योग		0	50,000	50,000	
वर्त्तमान आवंटन शब्दों में पचास हजार रुपये मात्र।					

(चन्द्रशेखर) 25-5-17
विशेष पदाधिकारी (या0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(कृष्ण चन्द्र ठाकुर) 26/05/2017
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(श्याम किशोर सिन्हा) सहायक | (नेमानी दास) प्रशाखा पदाधिकारी | (दीपेश कुमार) सहायक अभियंता | (आलोक कुमार) विशेष पदाधिकारी (या0) के त0 रा0

D:\2017-18 Worked by ALOK\ALLOTMENT - 2017-18\3- Mantriprishad - 2013 (2017-18)\2013 Mantriprishad (2017-18) - st-1(Tele) 2017-18